संख्या-30/2018/1175/46-1-18-20(25)/2017

प्रेषक,

नरेश बहादुर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना एवं चीनी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 05 जून, 2018

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में लाल बहादुर शास्त्री, गन्ना किसान संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में लाल बहादुर शास्त्री, गन्ना किसान संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू. 200.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में संलग्नक में दिये विवरण के अनुसार कुल धनराशि रू. 100.00 लाख **(रूपये एक करोड़ मात्र) आहरित करने एवं निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री, गन्ना किसान संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उपलब्ध कराने हेतु** निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय सहायता अनुदान के उद्देश्यों के अनुरूप किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही विभिन्न मदों की धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से किया ही जायेगा। साथ ही गन्ना आयुक्त/वित्त नियंत्रक स्वीकृत धनराशि को आहरित करने के पूर्व इस तथ्य की पुष्टि कर लेंगे कि गत वित्तीय वर्ष/वर्षों में विभिन्न मदों में स्वीकृत की गयी धनराशि का सुसंगत वित्तीय नियमों/शासनादेशों में निर्धारित शर्तों के अनुसार उपयोग किया गया है तथा समस्त उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

(2) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि किसी अन्य व्यय/ मद में वहन नहीं किया जाएगा तथा मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों/निर्देशों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में महालेखाकार, उ.प्र., इलाहाबाद एवं गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ/शासन को दिनांक 31 मार्च, 2019 तक उपलब्ध कराया जाना भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

जायेगी तथा आहरित धनराशि बैक, पी.एल.ए. अथवा पोस्ट आफिस/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी ।

(5) स्वीकृत धनराशि संलग्न सूची में अंकित मदों/कार्यो के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु व्यय नहीं की जायेगी। निहित प्रयोजन हेतु उपयोग से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो, इस धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में ही वित्त विभाग को समर्पित की जायेगी।

(6) आवश्यक निर्माण एवं विशेष मरम्मत के प्रस्ताव के आगणन अधिशासी अभियंता से ही तैयार कराये जायें। निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री, गन्ना किसान संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ तात्कालिकता तथा वरीयता का निर्धारण स्वयं करेंगे तथा इस संबंध में व्यय की जा रही धनराशि की कार्ययोजना/आगणन पर तथा अन्य व्ययों के संबंध में सुसंगत नियमों/आदेशों के अनुपालन सहित, नियमानुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में शासन का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग/उपक्रम में तैनात नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की पूर्ण विवरण सहित सूचना तुरन्त शासन/वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

3- उपर्युक्त स्वीकृत को चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-24 के लेखा शीर्षक-**''2401-फसल कृषि कर्म-108-वाणिज्यिक फसलें-03-गन्ना-0304-लाल बहादुर शास्त्री, गन्ना किसान संस्थान,** उ.प्र., लखनऊ को सहायता-**20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)''** के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत जारी किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

नरेश बहादुर
विशेष सचिव।

संख्या-30/2018/1175(1)/46-1-18-20(25)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ.प्र., इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ.प्र., इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

5- निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री, गन्ना किसान संस्थान, उ.प्र., लखनऊ ।

6- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ.प्र., इलाहाबाद।

7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (बजट) अनुभाग-1

8- गार्ड फाइल ।

सलंग्नकः-यथोपरि।

आज्ञा से,

(शिव शंकर द्विवेदी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

शासनादेश संख्या-30/2018/1175/46-1-18-20(25)/2017, दिनांक 05 जून, 2018 का संलग्नक

क्र.	मद विवरण	कुल प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मद/कार्य वार फॉट	प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4
	क-सामान्य (गैर वेतन)		
1	प्रवक्ताओं को पारिश्रमिक	550000	275000
2	अतिथि/कृषक/कर्मचारी जलपान	433000	216500
3	विचार गोष्ठी किसान मेला	60000	30000
4	अन्त: प्रदेशीय अध्ययन यात्रा	550000	275000
5	अन्तर प्रदेशीय अध्ययन यात्रा	750000	375000
6	पम्पलेट मैगजीन प्रकाशन	200000	100000
7	चार्ट होल्डिंग्स	126000	63000
8	प्रचार यंत्र जनरेटर	150000	75000
9	फर्नीचर का रख-रखाव	180000	90000
10	पत्र-पत्रिकाओं पर व्यय	55000	27500
11	पुस्तकों की बाइडिंग	25000	12500
12	जीप कार पर व्यय	1000000	500000
13	डाक तार पर व्यय	49500	24750
14	स्टेशनरी पर व्यय	550000	275000
15	बिजली बिलों का भुगतान	4000000	2000000
16	बिजली ध्वनि उपस्कर	395000	197500
17	भवन रख-रखाव	385000	192500
18	ट्यूबबेल रख-रखाव	230000	115000
19	भवन कर एवं किराया	4000000	2000000
20	उद्यान रख-रखाव	350000	175000
21	कर्मचारी वर्दी	40000	20000
22	फोटो कापियर/कम्प्यूटर रख-रखाव	212000	106000
23	टेलीफोन पर व्यय	257000	128500
24	कृषक स्टेशनरी	550000	275000
25	विविध व्यय	660000	330000
26	वातानुकूलन का रख-रखाव	550000	275000

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

27	सम्परीक्षा शुल्क	200000	100000
28	अग्निशमन यंत्र	20000	10000
29	श्रोतृशाला बीमा	7500	3750
30	कानूनी व्यय	70000	35000
31	विज्ञापन व्यय	15000	7500
32	भवन किराया गोरखपुर	180000	90000
33	लिफ्ट एवं फायर फाइटिंक सिस्टम वार्षिक रख रखाव	800000	400000
34	गनमैन मानदेय	2400000	1200000
	योग-	**2,00,00,000**	**1,00,00,000**

(रूपये एक करोड़ मात्र)

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है